प्रकरण संख्या 29/2024 चन्द्रप्रकाश व अन्य बनाम श्रीमती तेजकुंवर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ़ में आराजी नंबर 3144 रकबा 16 बिस्वा 10 विस्वांसी एवं आराजी नंबर 3147 रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो लक्ष्मीलाल जी दत्तक पुत्र दलीचन्द जी शर्मा के खातेदारी आधिपत्य की थी। लक्ष्मीलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात किसी को हस्तान्तरित या वसीयत नहीं की। लक्ष्मीलाल उनके पुत्र चन्द्रशेखर तथा चन्द्रशेखर के पुत्र विजय कुमार का स्वर्गवास हो चुका है और प्रार्थीगण लक्ष्मीलाल जी के एक मात्र वैद्यानिक प्रतिनिधि हैं तथा उनका कब्जा चला आ रहा है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वाधिकारी मगनलाल ने मिलीभगत से दिनांक 02.10.1957 को बिना किसी हस्तान्तरण के नामान्तरकरण संख्या 117 अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो प्रार्थीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य हैं। विपक्षीगण अवैध इन्द्राज की आड़ में प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.11.2022 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 08.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible] के साथ धारा 5 मियाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:41 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की बिना तामील कराये एवं बिना सुने अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिसकी जानकारी होते ही नकल दिनांक 19.09.2024 को प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्टगण को बिना सुने जारी की गयी है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्टगण को होने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.11.2022 को अपनी आदेशिका में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 5 पैरोकार सरकार उपस्थित जवाब के लिए अवसर चाहा, अन्तरित पर सुना गया वास्ते आदेश दिनांक 23.11.2022 को अन्तरित आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया जाता है। नये टी. आई. प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 5, 6, 7 नये जोड़ दिये, जबकि वे दावे में नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 23.11.2022 अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि रोड़ निकलने से तथा एवार्ड जारी होने से तहसीलदार को पार्टी बनाने हेतु नया प्रार्थना पत्र वर्ष 2022 में दर्ज कराया है। चूंकि अपीलान्टगण के विरूद्ध पूर्व में आदेश जारी हो चुका था। मूल दावे में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:41 IST
Reason: SelfAttested

की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2013 को प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 57/2013 हैं, जिसमें दिनांक 15.07.2015 तक मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। मूलदावा विचाराधीन है। इसके बाद दिनांक 20.10.2022 को पुनः नया प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण को पक्षकार बनाते हुए पुनः प्रस्तुत कर दिया, जिसमें उसी वाद के निस्तारण तक अवाप्ति एवं मुआवजा राशि अपीलान्ट/विपक्षीगण को नहीं देने के संबंध में पुनः अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी, जबकि ये बिन्दु मूल दावे में नहीं हैं तथा दावे में कोई संशोधन भी नहीं किया गया है। दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टगण को बिना सुने उनके विरूद्ध अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 111/2022 में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.11.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:41 IST
Reason: SelfAttested